राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या 1980/2012

1.हरि सिंह पुत्र बालूराम मीना, उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम नया बास, थाना-नीमा का थाना, जिला सीकर (राजस्थान)

2.श्रीमती. मुन्नी देवी पत्नी श्री हरि सिंह, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम नया बास, थाना नीमा का, जिला सीकर (राजस्थान)

3.कु. पूनम पुत्री श्री हरि सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम नया बास, थाना-नीमा का थाना, जिला सीकर (राजस्थान)

4.नवीन पुत्र श्री हरि सिंह, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम नया बास, थाना- नीमा का थाना, जिला सीकर (राजस्थान)

----**अपीलार्थी-दावेदार**

बनाम

1.ललित कुमार पुत्र श्री हजारी लाल, उम्र 50 वर्ष, निवासी प्लॉट संख्या 871, इस्लाम गंज, लुधियाना (पंजाब) (चालक-वाहन कार मारुति जेन संख्या पीबी-10-बीई-5957)

2.अश्वनी कुमार पुत्र नाथू राम, निवासी प्लॉट संख्या 900-बी, XIV, इस्लाम गंज, लुधियाना (पंजाब)

(मालिक- वाहन कार मारुति जेन संख्या PB-10-BE-5957)

3.नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मंडल प्रबंधक, एम.आई. के माध्यम से। रोड, जयपुर (राजस्थान)

(कवर नोट संख्या 0112196 और 10.01.2004 से 09.01.2005 तक वैध)

----**प्रत्यर्थी/गैर-दावेदार**

अपीलार्थी (गण) की ओर से : श्री संदीप माथुर

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से : श्री वी.पी. माथुर

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंड

निर्णय

24/02/2022

रिपोर्टेबल

वर्तमान अपील नागरिक विविध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, जयपुर जिला जयपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण' के न्यायालय) द्वारा मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 87/12 (816/2005) में पारित निर्णय और पंचाट दिनांक 26.04.2012 से असंतुष्ट 7 अपीलार्थीगण-दावेदारों द्वारा की गई है जिससे दिनांक 08.06.2004 को एक दुर्घटना में अनुराग मीना की मृत्यु हो जाने पर मुआवजे के रूप में 3,72,700/- रूपये की राशि प्रदान की गई है।

न्यायाधिकरण ने मुद्दे तय करने, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का मूल्यांकन करने और पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अपीलार्थीगण-दावेदारों की दावा याचिका पर निर्णय सुनाया ने अपीलार्थीगण-दावेदारों के पक्ष में विभिन्न मदों के तहत 3,72,700/- रुपये का मुआवजा दिया।

इस अपील में शामिल मुद्दा यह है कि- 'क्या 22 वर्ष की उम्र के बैचलर, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ने वाले को कुशल श्रमिक/दिहाड़ी मजदूर माना जाएगा?'

अपीलार्थीगण-दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दुर्घटना के समय मृतक 22 वर्ष की आयु का स्नातक था और इलेक्ट्रिकल में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था। मूल दावेदारों-मृतक के माता, पिता, भाई और बहन ने न्यायाधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर कर विभिन्न मदों में 44,05,000/- रुपये का दावा किया। अपीलार्थीगण-दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि न्यायाधिकरण ने मृतक को एक कुशल श्रमिक के रूप में मानने और उसे दैनिक मजदूर के रूप में मानने में गंभीर गलती की है, उसकी आय 4,030/- प्रतिमाह रुपये निर्धारित की है। अपीलार्थीगण-दावेदारों के अधिवक्ता ने आगे कहा कि दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 22 वर्ष थी और वह बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, अतः, बिना किसी कल्पना के उसे एक कुशल श्रमिक या दिहाड़ी मजदूर के रूप में माना जा सकता है।

अपने तर्कों के समर्थन में, अपीलार्थीगण-दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता ने **श्रीमती मीना पवैया और अन्य बनाम अशरफ अली और अन्य ने 2022 (1) आरएआर** में प्रकाशित,

मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए हालिया निर्णय पर भरोसा जताया है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के 22 वर्षीय छात्र की आय 10,000/- रुपये निर्धारित की है जिनकी वर्ष 2012 में दुर्घटना हुई थी।

अपीलार्थीगण-दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि मृतक की उम्र 22 वर्ष थी और न्यायाधिकरण ने 15 का गुणक लागू किया है। जबकि **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्यः (2017) 16 एससीसी 680,** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार 18 के गुणक को मृतक की उम्र को देखते हुए लागू किया जाना चाहिए था जो दुर्घटना की तारीख को 22 वर्ष थी।

अपीलार्थीगण-दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि प्रणय सेठी (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में न्यायाधिकरण द्वारा भविष्य की संभावना के लिए कोई राशि नहीं दी गई है। अंत में, अपीलार्थीगण-दावेदारों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पारंपरिक प्रमुख के तहत, न्यायाधिकरण ने केवल 10,000/- रुपये की राशि प्रदान की है। अतः, आक्षेपित पंचाट में उपयुक्त वृद्धि की आवश्यकता है।

इसके विपरीत, बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि न्यायाधिकरण ने अपीलार्थीगण-दावेदारों की दावा याचिका पर निर्णय लेते समय उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद इस मामले में पंचाट की गणना करते समय कारकों पर सही ढंग से विचार किया है। बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने आगे कहा कि मृतक केवल एक छात्र था, अतः उसे व्यावसायिक नहीं माना जा सकता। अधिवक्ता ने आगे कहा कि न्यायाधिकरण ने उसे कुशल श्रमिक मानकर उनकी आय को 4,030/- रुपये सही रूप में माना है। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भी ऊंचे स्तर पर है, क्योंकि वर्ष 2004 में न्यूनतम मजदूरी कम थी। अंत में, बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिनांक 26.04.2012 के आक्षेपित निर्णय में इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हालाँकि, बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता, माननीय के निर्णय के आलोक में वर्तमान मामले में पंचाट की पुनर्गणना के संबंध में अपीलार्थीगण-दावेदारों के अधिवक्ता द्वारा श्रीमती मीना पवैया (सुप्रा.) और प्रणय सेठी (सुप्रा.) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप की गई दलीलों का खंडन करने की स्थिति में नहीं हैं।

मैंने बार में दी गई दलीलों पर विचार किया है और दिनांक 26.04.2012 के निर्णय के

साथ-साथ मामले के प्रासंगिक रिकॉर्ड को भी देखा है।

माना जाता है कि मृतक अनुराग मीना की उम्र 22 वर्ष थी और वह दुर्घटना के समय बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष का छात्र था, अतः, न्यायाधिकरण उसकी आय 4,030/- रुपये के रूप में निर्धारित करने में सही नहीं था। केवल उसे कुशल श्रमिक और दैनिक वेतनभोगी मानकर और न्यायाधिकरण ने 15 के गुणक को लागू करना सही नहीं था। श्रीमती मीना पवैया (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में मृतक की आय 8,000/- प्रतिमाह रुपये आंकी गई है।

श्रीमती मीना पवैया (सुप्रा.), के मामले में विवाद लगभग समान था और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि: -

> *"सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि दुर्घटना के समय मृतक की उम्र 21-22 वर्ष थी और वह सिविल इंजीनियरिंग में तीसरे वर्ष का छात्र था। अतः यह कहा जा सकता है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए उनका भविष्य उज्ज्वल था। विद्वान न्यायाधिकरण ने भविष्य में आर्थिक हानि के मद में मुआवजा देने के उद्देश्य से मृतक की आय 15,000 रुपये प्रतिमाह आंकी। हालाँकि, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मुआवजा कम कर दिया है और मृतक की आय 5,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की है। मृतक की आय 5,000/- रूपये मानकर दावेदारों को भावी आर्थिक हानि का मुआवजा देना बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। यहां तक कि श्रमिकों/कुशल श्रमिकों को वर्ष 2012 में न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत 5,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहे थे।* चूंकि मृतक सिविल इंजीनियरिंग के तीसरे/चौथे सेमेस्टर में पढ़ रहा था, अतः उसे मजदूरों/कुशल मजदूरों से बदतर नहीं माना जा सकता। यहां तक कि भारत संघ की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने भी यह स्वीकार किया है कि भविष्य में आर्थिक हानि के मद में मुआवजा देने के उद्देश्य से मृतक की आय का आकलन 5,000 रुपये प्रतिमाह करना निम्न स्तर पर कहा जा सकता है और ऐसे में यह उचित नहीं है। भविष्य के आर्थिक नुकसान का मुआवजा देते समय, जब मृतक की मृत्यु 21-22 वर्ष की कम उम्र में हुई और मृत्यु/दुर्घटना के समय वह कमाई नहीं कर रहा था, तो इस *न्यायालय* के निर्णयों के

अनुसार, भविष्य के आर्थिक नुकसान का निर्धारण करने के उद्देश्य से आय है हमेशा कई परिस्थितियों जैसे शैक्षणिक योग्यता और परिवार की पृष्ठभूमि आदि को ध्यान में रखते हुए अनुमान के आधार पर काम किया जाता है। अतः शैक्षणिक योग्यता और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए और जैसाकि ऊपर देखा गया है, मृतक का तीसरी कक्षा में अध्ययन करते हुए एक उज्ज्वल भविष्य था। सिविल इंजीनियरिंग के वर्ष में, हमारी राय है कि मृतक की आय कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह मानी जानी चाहिए, विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि श्रमिकों/कुशल श्रमिकों को वर्ष 2012 में न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत भी महीना 5,000 रुपये प्रतिमाह मिल रहे थे।

जब मृतक की उम्र 22 वर्ष थी तो श्रीमती मीना पवैया (सुप्रा.) के निर्णय के आलोक में 40% भविष्य की संभावनाओं के अतिरिक्त 18 का गुणक लगाना चाहिए था। जो इस प्रकार है:-

"इस स्तर पर, गुणक निर्धारित करने के लिए भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य (2017) 16 एससीसी 680 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करना आवश्यक है और विचार किया गया। उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय की संविधान पीठ को भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने के औचित्य पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिला। उपरोक्त निर्णय में यह देखा गया और माना गया कि आय का निर्धारण करते समय, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय में वास्तविक वेतन का 50% जोड़ा जाना चाहिए, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और वह 40 वर्ष से कम उम्र का था। यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच है तो अतिरिक्त 30% होना चाहिए। यदि मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच है तो 15% अतिरिक्त होना चाहिए। वास्तविक वेतन को कर घटाकर वास्तविक वेतन के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। आगे यह भी माना जाता है कि यदि मृतक स्व-रोज़गार था या निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40% अतिरिक्त होना चाहिए, जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी। जहां

मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी, वहां 25% की वृद्धि और जहां मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, वहां 10% की वृद्धि को गणना की आवश्यक विधि माना जाना चाहिए। आगे यह भी माना जाता है कि स्थापित आय का मतलब कर घटक को घटाकर आय है। पैरा 54 से 57 में ऐसा मानते हुए, इसे निम्नानुसार देखा और माना जाता है:

"54. संतोष देवी [संतोष देवी बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (2012) 6 एससीसी 421] मामले में न्यायालय ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है कि एक स्व-रोज़गार व्यक्ति जीवन भर एक निश्चित वेतन पर रहता है। इसने जीवनयापन की लागत में वृद्धि पर ध्यान दिया है जो अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर किए बिना सभी को प्रभावित करता है। इस श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, इस तथ्य पर न्यायिक संज्ञान लिया गया है कि समय बीतने के साथ निजी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों का वेतन भी कई गुना बढ़ जाता है। राजेश मामले [सरला वर्मा बनाम डीटीसी, (2009) 6 एससीसी 121], में न्यायालय ने उस मामले में 15% जोड़ा था जहां पीड़ित 15 से 60 वर्ष की आयु के बीच है ताकि मुआवजा उचित, न्यायसंगत हो सके। निष्पक्ष और तर्कसंगत यह बढ़ोतरी स्व-रोज़गार या निश्चित वेतन पर लगे लोगों के संबंध में की गई है।

55.अधिनियम की धारा 168 "न्यायपूर्ण मुआवजे" की अवधारणा से संबंधित है और इसे स्वीकार्य विधिक मानक पर निष्पक्षता, तर्कसंगतता और समानता की नींव पर निर्धारित किया जाना है क्योंकि ऐसा निर्धारण कभी भी अंकगणितीय सटीकता में नहीं हो सकता है। यह कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत मामले में रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्रियों के आधार पर अंकगणितीय परियथार्थता के निकटता की स्वीकार्य डिग्री प्राप्त करना है। "उचित मुआवजे" की अवधारणा को निष्पक्षता, तर्कसंगतता और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन न करने के चश्मे से देखा जाना चाहिए। मृत्यु के मामले में, दावेदारों के विधिक उत्तराधिकारी अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते। साथ ही,

दिया गया मुआवज़ा मुआवज़े के लिए माफ़ी नहीं हो सकता। यद्यपि न्यायाधिकरण में निहित विवेक काफी व्यापक है, फिर भी न्यायाधिकरण के लिए यह अनिवार्य है कि वह अभिव्यक्ति अर्थात "न्यायपूर्ण मुआवजा" द्वारा निर्देशित हो। निर्धारण मृतक की उम्र और आय के संबंध में रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए और उसके बाद उपयुक्त गुणक लागू किया जाना चाहिए। गुणक से संबंधित सूत्र सरला वर्मा [सरला वर्मा बनाम डीटीसी, (2009) 6 एससीसी 121] में स्पष्ट रूप से बताया गया है और इसे *रेशमा कुमारी [रेशमा कुमारी बनाम मदन मोहन, (2013) 9 एससीसी 65]* मामले में अनुमोदित किया गया है। आयु और आय, जैसाकि पहले कहा गया है, साक्ष्य जोड़कर स्थापित की जानी है। न्यायाधिकरण और न्यायालयों को यह ध्यान में रखना होगा कि मूल सिद्धांत व्यावहारिक गणना में निहित है जो वास्तविकता के करीब है। यह एक सर्वमान्य मानदंड है कि पैसा खोए हुए जीवन की भरपाई नहीं कर सकता है, लेकिन दृष्टिकोण में एकरूपता रखते हुए उचित मुआवजा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। दो चरम सीमाओं के बीच एक संतुलन होना चाहिए, अर्थात, अप्रत्याशित लाभ और मामूली धन, लाभ और मामूली। ऐसे निर्णय में, न्यायाधिकरण और न्यायालयों का कर्तव्य कठिन होता है और अतः, इस न्यायालय द्वारा मानकीकरण के लिए एक प्रयास किया गया है जिसके दायरे में वर्तमान में सिद्ध आय पर भविष्य की संभावनाओं को जोड़ना शामिल है। जहां तक भविष्य की संभावनाओं का प्रश्न है, निश्चितता, स्थिरता और स्थिरता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए मानकीकरण किया गया है। हम "मानकीकरण" के सिद्धांत को मंजूरी देते हैं ताकि उम्र के आधार पर गुणक को लागू करने के लिए एक विशिष्ट और निश्चित गुणक निर्धारित किया जा सके।

56.मूल मुद्दा उन मृतकों के मामलों में भविष्य की संभावनाओं का निर्धारण है जो स्व-रोज़गार में हैं या निश्चित वेतन पर हैं। सरला वर्मा [सरला वर्मा बनाम डीटीसी, (2009) 6 एससीसी 121] ने दावेदारों को भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने का लाभ प्राप्त करने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री लाने की अनुमति देते हुए एक अपवाद तैयार किया है। इसने,

अपने आप में, उक्त श्रेणी के संबंध में किसी भी भविष्य की संभावना की अनुमति नहीं दी है।

*57.*अपना उत्सुकतापूर्वक विचार करने के बाद, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि जब हम मानकीकरण के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, तो वास्तव में उक्त सिद्धांत को स्व-रोजगार वाले या निश्चित वेतन पर रहने वाले व्यक्ति पर लागू न करने का कोई औचित्य नहीं है। मृत्यु के समय वास्तविक आय के सिद्धांत का पालन करना और गुणक के निर्धारण के उद्देश्य से आय में भविष्य की संभावनाओं के संबंध में कोई राशि नहीं जोड़ना अन्याय होगा। मुआवजे की गणना करते समय आय के निर्धारण में भविष्य की संभावनाओं को शामिल करना होगा ताकि यह विधि अधिनियम की धारा 168 के तहत बताए गए उचित मुआवजे के दायरे में आ जाए। ऐसे मृतक के मामले में जिसने वार्षिक वेतन वृद्धि के अंतर्निहित अनुदान के साथ स्थायी नौकरी की थी, एक स्वीकार्य निश्चितता है। लेकिन, यह कहना कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि जो एक निश्चित वेतन पर थे, मुआवजे की गणना के उद्देश्य से भविष्य की संभावनाओं के लाभ के पात्र नहीं होंगे, अनुचित होगा क्योंकि उस घटना में दोनों के बीच अंतर की कसौटी एक ओर निश्चितता और दूसरी ओर स्थिरता होगी। कोई यह समझ सकता है कि तुलनात्मक माप एक ओर निश्चितता है और दूसरी ओर अनिश्चितता है लेकिन ऐसी धारणा भ्रामक है क्योंकि मूल्य वृद्धि स्व-रोजगार वाले व्यक्ति को प्रभावित करती है; और इसके अलावा जीविका के लिए अपनी आय बढ़ाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करना पड़ता है। स्थायी नौकरी पर वेतनभोगी व्यक्ति की क्रय क्षमता जब वेतन वृद्धि और वेतन संशोधन या सेवा शर्तों में किसी अन्य बदलाव के कारण बढ़ती है, तो कर्मचारियों से बेहतर दक्षता प्राप्त करने के लिए वेतन बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र में हमेशा प्रतिस्पर्धात्मक रवैया रहता है। इसी प्रकार, एक व्यक्ति जो स्व-रोज़गार है, वह अपने संसाधन जुटाने और अपने शुल्क/शुल्क बढ़ाने के लिए बाध्य है ताकि वह समान सुविधाओं के साथ रह सके। यह धारणा रखना कि उसके स्थिर रहने की संभावना है और उसकी आय स्थिर रहेगी, मानवीय दृष्टिकोण की मूल

अवधारणा के विपरीत है जो हमेशा गतिशीलता के साथ जीने और समय के साथ आगे बढ़ने और बदलने का इरादा रखती है। यद्यपि यह उचित प्रतीत हो सकता है कि स्थायी नौकरी वाले व्यक्ति के मामले के विपरीत मौजूदा आय में भविष्य की संभावनाओं के अलावा निश्चितता नहीं हो सकती है, फिर भी उक्त धारणा वास्तव में स्वीकार्यता के लायक नहीं है। हम यह सोचने के इच्छुक हैं कि मृतक की ओर से दावा करने वाले या उसके लिए लागू होने वाले विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिशत के संबंध में कुछ हद तक अंतर हो सकता है, जिसके पास स्व-रोज़गार वाले व्यक्ति की तुलना में एक निश्चित वेतन पर स्थायी नौकरी थी। लेकिन निश्चितता की कथित कमी की बुनियाद पर मानकीकरण के सिद्धांत को लागू न करना जमीनी हकीकत की उलझनों से बेखबर रहने के समान होगा। अतः, डिग्रीटेस्ट अनिवार्य है। जब तक डिग्री परीक्षण लागू नहीं किया जाता और इसे स्थापित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पक्षों पर नहीं छोड़ी जाती, यह अनुचित और असमान होगा। डिग्री टेस्ट में प्रतिशत की अंतर्निहित अवधारणा होनी चाहिए। संचयी कारकों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्, समय बीतने, बदलते समाज, मूल्य में वृद्धि, मूल्य सूचकांक में बदलाव, जीवन के एक विशेष पैटर्न का पालन करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण, आदि, स्थापित आय का 40% अतिरिक्त भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की संख्या और जहां मृतक 40 वर्ष से कम था, वहां 25% की वृद्धि उचित होगी, जहां मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी।

अतः, इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि शैक्षिक योग्यता को देखते हुए मृतक का भविष्य उज्ज्वल था क्योंकि वह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था, मृतक को एक कुशल श्रमिक/दिहाड़ी मजदूर के रूप में नहीं माना जा सकता है। अतः उनकी आय कम से कम 8,000/- रुपये प्रतिमाह मानी जानी चाहिए थी।

उपर्युक्त निर्णयों में कानून की स्थापित स्थिति को देखते हुए, पंचाट की गणना करते समय वर्तमान मामले में 18 के गुणक को लागू करना आवश्यक है। इसके अलावा 40% की सीमा तक राशि को भविष्य की संभावनाओं और रुपये की राशि में जोड़ा जाना आवश्यक है। प्रणय सेठी (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में पारंपरिक मदों में 70,000/- रुपये जोड़ने की भी आवश्यकता है।

इस प्रकार, पंचाट की गणना निम्नानुसार पुनः की जाती है:

मासिक आय	8,000/- रुपए
वार्षिक आय	8,000 **X** 12 रुपए = 96,000/- रुपए प्रतिवर्ष
गुणक लागू किया जाना है	18 96,000 X18 = 17,28,000/- रुपए
कटौती 50 %	17,28,000/- रुपए - 8,64,000/- रुपए = 8,64,000/- रुपए
40 प्रतिशत जोड़ें	8,64,000/- रुपए + 3,45,600/- रुपए
भविष्य की संभावनाओं	= 12,09,600/- रुपए
सामान्य व्यय जोड़ें (पारंपरिक)	70,000/- रुपए
कुल मुआवजा देय	12,09,600+70,000 रुपए = 12,79,600/- रुपए
न्यायाधिकरण द्वारा कम राशि प्रदान की गई	12,79,600/- रुपए - 3,72,700/- रुपए = 9,06,900/- रुपए
मुआवज़े की बढ़ाई गई राशि	9,06,900/- रुपए

इस प्रकार, वर्तमान मामले में 9,06,900/- रुपये की राशि की बढ़ोतरी की गई है। प्रत्यर्थी-बीमा कंपनी को 9,06,900/- रुपये की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 26.04.2012 के निर्णय के तहत पहले ही दी गई राशि के अतिरिक्त। बढ़ी हुई राशि पर दावा याचिका *दायर* करने की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

न्यायाधिकरण को दावाकर्ताओं-अपीलार्थीगण को वितरण से पहले बीमा कंपनी द्वारा सावधि जमा में जमा की गई राशि को समायोजित करने का निर्देश दिया गया है।

आगे यह आदेश दिया गया है कि बढ़ी हुई राशि में से न्यायाधिकरण दावेदारों-अपीलार्थीगण के बचत बैंक लेखे में 2,00,000/- रुपये की राशि वितरित करेगा और बढ़ी

हुई मुआवजे की शेष राशि शुरू में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश की जाएगी। तीन वर्ष की अवधि और उक्त राशि पर अर्जित ब्याज का भुगतान अपीलार्थीगण-दावेदारों को मासिक आधार पर किया जाएगा।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, वर्तमान अपील का निपटारा किया जाता है।

सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

रजिस्ट्री को न्यायाधिकरण का रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजने का निर्देश दिया गया है।

(अनूप कुमार ढंड), न्यायमूर्ति

Ritu/6

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।